



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,

नई दिल्ली-110003

दिनांक: 28 / 02 / 2019

File No.

- (1) FL/50/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (2) PB/35/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (3) UD/39/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (4) SU/16/2017/STGMP/DEOLAAC/RU-III
- (5) MN/43/2018/STGMP/DELAAL/RU-III
- (6) AT/1/2018/STGMP/ATOTH/RU-III
- CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III

सेवा में,

1. जिला कलेक्टर

जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)


2. पुलिस अधीक्षक

जिला छिन्दवाड़ा
(म.प्र.)

- विषय :-
1. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में श्री फग्गूलाल, ग्राम बड़कुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा का अभ्यावेदन ।
 2. आनावेदक के विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने बाबत श्रीमती प्रभावाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
 3. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन से अवैध कब्जा हटवाने के सम्बन्ध में – श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरू, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
 4. आवेदक के स्वमित्र की भूमि पर अनावेदिका द्वारा जबरन कब्जा करने बाबत- श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोडी मोहल्ला, छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
 5. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन को रावल मायनिंग कोर्पोरेशन रामपेठ दवामी द्वारा जबरदस्ती अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मन्नू पिता श्री सितरू धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
 6. अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अन्य लोगों द्वारा 25 लाख 50 हजार रुपयों की धोखाधड़ी कर और आवेदक की पत्नी का अपहरण कर उसकी राशि लूट लेने, जाति सूचक गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।
 7. आदिवासी समाज की आवेदिका के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 766/1 रकबा 1.584 हे. में से शासन द्वारा अतिक्रमित रकबा 0.599 हे. भूमि का कब्जा दिलाने अथवा शासन द्वारा अतिक्रमण कर किये गये स्थायी निर्माण के बदले में शासन मद की भूमि ख.नं.635/1, 635/2, 652/2 का मद परिवर्तन कर स्थानान्तरण किये जाने बाबत श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का अभ्यावेदन ।

महोदय / महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर कथन है कि सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के दिनांक 21.01.2019 को कलेक्टर सभाकक्ष जिला कलेक्टर छिंदवाड़ा (म.प्र.) के साथ किए गए बैठक कि रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि बैठक कि रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।


(डॉ. ललित लड्हा) 26/1/2019
निदेशक

प्रतिलिपि:

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें।
2. श्री फग्गूलाल, ग्राम बड़कुही खमारपानी, तहसील बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा
3. श्रीमती प्रभाबाई पति स्व. श्री सुखपाल यहके मु. पो. डुंगरिया तितरा, तहसील परासिया जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
4. श्री उधो इरपाची पिता श्री पितरु, ग्रामगुमतरा, पोस्ट पायरी, विकासखंड- बिछुआ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
5. श्री संदीप पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी लालबाग, वार्ड नं.14, गोडी मोहल्ला, छिंदवाड़ा तहसील व जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
6. श्री मन्नू पिता श्री सितरु धुर्वे, एवं श्री संजु पिता श्री मन्नू धुर्वे, मुकाम रामपेठ दवामी, तहसील सौंसर, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
7. श्री अतरु पिता श्री तुलसी परते ग्राम रामगढ़, तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)
8. श्रीमती चंद्रकांता उइके पति श्री गोपीचंद उइके, ग्राम शीलादेही, पोस्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (HEARING) कार्यवृत्त

अपीलकर्ता आवेदक :—

श्रीमती चन्द्रकांता उड़के पति श्री गोपीचंद उड़के,
शीलादेही पोष्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ जिला
छिन्दवाड़ा म.प्र.

आयोग की फाईल नंबर

CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU - III

सुनवाई / बैठक की तिथि

21/01/2019

सुनवाई / बैठक में उपस्थित अधिकारी

परिशिष्ट 'क'

स्थान

सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

उपरोक्त विचाराधीन आवेदक की अपील / अभ्यावेदन पर मेरे द्वारा छिन्दवाड़ा प्रवास के समय
कलेक्टर कार्यालय छिन्दवाड़ा के सभाकक्ष में सुनवाई की गई जिसका कार्यवृत्त इस प्रकार है।

श्रीमती चन्द्रकांता उड़के पति श्री गोपीचंद उड़के, शीलादेही पोष्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ जिला
छिन्दवाड़ा, फाईल नंबर CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU - III

1. आवेदिका श्रीमती चन्द्रकांता उड़के पति श्री गोपीचंद उड़के निवासी शीलादेही जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला है, से आयोग को दिनांक 24/5/2018 को विचाराधीन अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिसका परीक्षण किया गया और प्रकरण दर्ज कर नोटिस के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाने का निर्णय लिया गया।
2. सहायक निदेशक, अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा निर्देशानुसार नोटिस क्रमांक CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU-III दिनांक 25 May 2018 जारी कर कलेक्टर छिन्दवाड़ा को 30 दिवस में डाक के माध्यम से अथवा उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये सूचित किया गया।
3. दिनांक 13/8/2018 को कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा पत्र क्रमांक -7393/जिशिलि/राअजन जाति/2018 छिन्दवाड़ा दिनांक 13/08/2018 के माध्यम से आयोग को अपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जिला सतर्कता अधिकारी छिन्दवाड़ा द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण की जाँच अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया से कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परासिया ने प्रतिवेदित किया है कि :—
 - A. विषयांकित खसरा की भूमि पर आवेदिका का नाम दर्ज है।


Anusuya
सुश्री अनुसुइया उड़के/Miss Anusuya Uikey
उपायका/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

- B. विचाराधीन आवेदिका की भूमि पर शासकीय माध्यमिक शाला भवन, शासकीय नवीन कन्या हाईस्कूल भवन, शौचालय भवन, अतिरिक्त कक्ष, माडल कलस्टर, ऑंगनवाड़ी भवन, किचनशेड तथा खेल मैदान बना है।
- C. आवेदिका द्वारा इसी अतिक्रमित भूमि जो कि शासन द्वारा किया गया है, के बदले बगल की शासकीय भूमि प्रदान करने की मांग अथवा शासकीय अतिक्रमण हटाने का अनुरोध किया है।
- D. प्रतिवेदन अनुसार भूमि की अदला बदली का राजस्व प्रकरण क्रमांक 82 / अ / (अ) / 2016–2017 दर्ज किया गया है और कार्यवाही हेतु कलेक्टर को भेजा गया है।
- E. प्रकरण इस समय तहसीलदार स्तर पर लंबित है।
4. जिला सतर्कता अधिकारी के प्रतिवेदन से आवेदक के आवेदन का निराकरण नहीं होता है। आयोग को अपूर्ण जानकारी प्रेषित की गई है।
5. सुनवाई में उपस्थित अतिरिक्त कलेक्टर एवं तहसीलदार द्वारा उक्त तथ्यों को स्वीकार किया गया और दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण की स्थिति से अवगत कराया गया। तदनानुसार दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
6. प्रशासन द्वारा आवेदिका की अतिक्रमित भूमि से लगी हुई अन्य शेष भूमि तथा दूसरी शासकीय भूमि प्रदान करने का तर्क स्वीकार किया गया।

निर्णय एवं निष्कर्ष

- सुनवाई के दौहान अपीलकर्ता तथा प्रशासन के तथ्यों का श्रवण एवं परीक्षण करने से यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवेदिका की भूमि पर शासकीय भवन निर्मित हैं।
- उसकी अतिक्रमित भूमि अथवा उसके बदले दूसरी भूमि दिया जाना चाहिए।
- आवेदिका के पुत्र द्वारा दूसरी दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि को देखकर भूमि की अदला बदली के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने की बात स्वीकार की गई।
- प्रशासन की ओर से तहसीलदार एवं अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा आश्वस्त किया गया कि आवेदक को तीन दिवस में अतिक्रमित भूमि जिस पर शासकीय भवन निर्मित हैं से लगी हुई तथा अन्य भूमि दिखाई जावेगी और यदि वे सहमत होते हैं तो अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।
- तदानुसार संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में कार्यवाही सुनिश्चित कर आयोग को प्रतिवेदन भेजा जावे।
- आयोग के नोटिसों को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि यदि उक्त सभी प्रकरणों में प्रशासन ध्यान देता तो इनका निराकरण समयावधि में संभव था। कलेक्टर,

आयोग के नोटिसों और पत्रों का उत्तर समयावधि में भिजवाने की व्यवस्था एवं स्वयं की
उपस्थिति भी सुनिश्चित करें।


(अनुसुईया उइके)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uike
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुनवाई (Hearing) उपस्थिति पत्रक

अपीलकर्ता	आवेदक :—	श्रीमती चन्द्रकांता उड़के पति श्री गोपीचंद उड़के, शीलादेही पोष्ट गाजनडोह, तहसील उमरेठ जिला छिन्दवाड़ा
आयोग की फाईल नंबर		CU/36/2018/STGMP/DELAAL/RU - III
सुनवाई / बैठक की तिथि	:	21/01/2019
स्थान	:	सभाकक्ष कार्यालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली

- सुश्री अनुसुईया उड़के, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली
- श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी, मान. उपाध्यक्ष महोदया के सहायक निज सचिव

जिला प्रशासन छिन्दवाड़ा

- श्रीमती कविता बाटला, अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा।
- तहसीलदार, उमरेठ मीना दशरिया।

अपीलकर्ता आवेदकगण

- श्री कमलेश उड़के। आवेदिका का पुत्र।